

कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा, जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
Email : bmokhandsra@yahoo.co.in

क्रमांक/NHM/2019/814.....

खंडसरा, दिनांक : 07/11/2019.

ज्ञापन/निविदा आमंत्रण सूचना

विकासखंड बेमेतरा, जिला बेमेतरा में गितानिनों के 24 वां चरण प्रशिक्षण हेतु निविदा ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा अंतर्गत बेमेतरा में 24 वां चरण गितानीन प्रशिक्षण में मीनू अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किये जाने हेतु निविदा बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा अंतर्गत बेमेतरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा के अधिनस्थ कार्यरत मितानीनों को 24 वां चरण का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी मितानीनों एवं प्रशिक्षकों को चाय, नाश्ता व भोजन मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है। मीनू अनुसार चाय, नाश्ता व भोजन प्रदाय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित है।

उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्म दिनांक 22/11/2019 तक संलग्न मीनू/सूची अनुसार निविदा कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा, वि.खं. व जिला बेमेतरा (छ.ग.) के पते मे रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। लिफाफा के उपर स्पष्ट रूप से मितानीन प्रशिक्षण में चाय, नाश्ता एवं भोजन हेतु निविदा पत्र लिखा होना चाहिए।

निविदा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 22/11/2019 (शाम 6.00 बजे तक)

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी :- कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र खंडसरा

निविदा खोले जाने की तिथि :- 23/11/2019 (दोपहर 12.00 बजे)


सेवा प्रदाता चयन हेतु नियम व शर्तें :-

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत संलग्न मीनू अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अधिकतम व्यय सीमा राशि रु. 130/- (रु. एक सौ तीस) मात्र है।
8. संस्था द्वारा प्रदाय निविदा के चयन पश्चात उसमें किसी तरह की कमी मान्य नहीं होगा, सामाग्रीयों तथा गुणवत्ता में कमी या समय पर प्रशिक्षणार्थीयों हेतु चाय, नाश्ता एवं भोजन व अन्य सामाग्री उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित निविदाकर्ता/संस्था/स्वयं सहायता समुह का चयन निरस्त किया जायेगा एवं किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. प्रदाय किये जाने वाले भुगतान पर शासन के नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी की कटौती किया जायेगा।
10. निविदा पत्र के साथ राशि रु. 500/- अक्षरी रु. पांच सौ मात्र का डी.डी./बैंकर्स चेक NRHM Flexipool Khandsara के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य है, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
11. प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को प्रदाय की जाने वाले चाय, नाश्ता व भोजन के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. विस्तृत जानकारी कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।


Block Medical Officer
CHC - Khandsara
Distt. Bemetara (C.G.)

मितानीन प्रशिक्षण में मीनू अनुसार चाय, नाश्ता व भोजन का मीनू चार्ट ।


क.	विवरण	सागामी विवरण	रिगार्क
1	सुवह का नाश्ता	पोहा/सगोरा, जलेबी, चाय अथवा समतुल्य	
2	दोपहर का भोजन	चावल, दाल, सब्जी, पापड़, आचार, अथवा समतुल्य	भरपेट भोजन
3	शाम की चाय	चाय, बिस्कुट अथवा समतुल्य	
4	रात्रि का भोजन	चावल, दाल, सब्जी, पापड़, आचार, अथवा समतुल्य	भरपेट भोजन


खंड चिकित्सा अधिकारी
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.कमांक/NHM/2019/.....815.....
प्रतिलिपी

खंडसरा, दिनांक : 07/11/2019

1. जन संपर्क अधिकारी जिला बेमेतरा की ओर विस्तृत जानकारी को <http://bemetara.gov.in> एवं स्थानीय अखबार में प्रकाशित करने के लिये सादर सूचनार्थ ।
2. एन.आई.सी. अधिकारी जिला बेमेतरा को <http://bemetara.gov.in> में प्रकाशित करने के लिये सादर सूचनार्थ ।


खंड चिकित्सा अधिकारी
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडसरा
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
Block Medical Officer
CHC - Khandsara
Distt. Bemetara (C.G.)